

130349

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं कबील वादीगण अनुपस्थित।  
वादीगण एवं कबील वादीगण को न्यायालय समय में बार-बार  
आवजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित  
रहे। अतः दावा वादीगण अदम दायरी अदम फौजदारी में खारिज  
किया जाता है। निबंध खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल  
फैसल शुमार होवा नम्बर से कम हो। बाद तकमील तरतीब दाखिल  
दफ्तर हो।

